D11

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : रामचन्द्र खटीक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : वाद 35/2020 (2020/00088)

अनवाद

शांतिलाल पिता मजोडीमल जी डाड (महाजन) निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
— वादी

बनाम

1- सुखलाल पिता नन्दराम जी कीर निवासी नगरी
2- सरकार जरिए तहसीलदार चित्तौड़गढ़
— प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.
उपस्थिति : श्री शान्तिलाल स्वयं अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 30/01/2023

संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 RTA इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नगरी में खाता संख्या 638 पर दर्ज आ.नं. 2461/2739 रकबा 0.56 हे. 2462 रकबा 1.56 हे. कीता 2 कुल रकबा 2.12 हे. स्थित होकर वादी के उपयोग उपभोग की है। वादी की उम्र 80 वर्ष होकर अपने पुत्र के साथ भीलवाड़ा [illegible] रहता है तथा गांव नगरी का स्थायी निवासी होकर आता-जाता रहता है। प्रतिवादी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

sd/-
(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

A/2

संख्या 1 सुखलाल की आराजी संख्या 2553 एवं आ.खा.नं. 2453/2629 वादी की भूमि के पश्चिम दिशा मे स्थित है। प्रतिवादी सुखलाल ने वादी की उपरोक्त वर्णित आ.नं. 2462 मे से करीब 0.03 हे. भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया, जिसे वादी पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी के द्वारा अपनी कृषि आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाई गई। जिससे जानकारी हुई कि वादी की आ.नं. 2462 मे से करीब 0.03 हे. भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 सुखलाल कीर ने कब्जा कर पत्थर की कच्ची दीवार बना दी। इससे पहले वादी को जानकारी नही थी। उस समय वादी ने प्रतिवादी को कब्जा हटाने के लिए कहा तो टालमटोल करता रहा। वाद कारण दिनांक 15/2/2020 को प्रतिवादी सुखलाल द्वारा कब्जा हटाने एवं पत्थर की कच्ची दीवार हटाने इनकार कर देने से उत्पन्न होना अंकित कर अन्त मे आराजी संख्या 2462 मे से करीब 0.03 हे. भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाये जाने की डिक्री प्रदान करने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिए नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए, जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। ~~अतिरिक्त~~ वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य मे स्वयं का शपथपत्र एवं संजीव डांड का शपथ पत्र क्रमशः PW1 व PW2 प्रस्तुत कर दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत 2068-2071

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

AB

खतौनी संख्या 638 प्रदर्श-1 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2 के रूप में प्रदर्शित कराये। बहस प्रकरण अधिवक्ता वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी संख्या 2462 रकबा 1.5600 हे० वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। वक्त पत्थरगढी दिनांक 24/5/2017 को बनाए गए पर्चा मौका अनुसार वादी की उक्त आराजी 2462 में पश्चिम ओर के सहारे-सहारे 0.03 हे० पर पत्थर के खम्भे को कोर कर प्रतिवादी संख्या 01 ने कब्जा कर रखा है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी की आराजी संख्या 2462 में से 0.03 हे० पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किए गए कब्जे को हटा कर, कब्जा वादी को सुपुर्द कराये जाने की डिक्री प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन। अध्ययन कर अधिवक्ता वादी की बहस पर गहनता से मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1 अनुसार ग्राम नगरी की आराजी संख्या 2462 रकबा 1.5600हे० वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वाद पत्र का खण्डन भी नहीं किया गया। वादी का वाद पत्र प्रस्तुत दस्तावेजी शहादत सबूत से प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बस्सी को आदेश दिए जाते हैं कि वादी की ग्राम नगरी स्थित आराजी संख्या 2462 रकबा 1.5600हे० में से 0.03 हे० पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किए गए अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **रामचन्द्र खटीक** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.शांतिलाल पिता कजोडीमल डाड (महाजन) नि.नगरी तह.व जिला चित्तौडगढ़

—वादी

बनाम

1.सुखलाल पिता नंदराम कीर नि.नगरी
2.सरकार जरिए तहसीलदार चित्तौडगढ़

—प्रतिवादीगण

प्र.स. 35 / 2020 (GCMS 2020/00088)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री शान्तिलाल बसेर की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री — की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बस्सी को आदेश दिए जाते है कि वादी की ग्राम नगरी स्थित आराजी संख्या 2462 रकबा 1.5600 हे. मे से 0.03 हे. पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किए गए अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करावें।

इस वाद के खर्च — प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा — को दी जावे। यह आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner